© 2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 6 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

पूर्व मध्यकालीन भारत में कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान

संदीप कुमार यादव

शोध छात्र

प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

पूर्व मध्यकाल में कला एवं स्थापत्य के पूर्व स्थापित मानदंडों एवं शिल्परूपों के आधार पर देश में व्यापक स्तर पर शिल्पशास्त्रों की परंपरा का विकास हुआ और शिल्पकला एक विशिष्ट शास्त्रीय एवं सैद्धांतिक स्तर पर विकसित हुई। अब तक विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का विकास हो चुका था। इन विभिन्न संप्रदायों के अपने भिन्न आगमों से तत्संबंधित विश्वास एवं धार्मिक उपादेयतावश अनेक प्रकार की मूर्तियों के भेद स्थापित किये गये। प्रत्येक सम्प्रदाय की अपनी विशिष्ट पूजा परंपरा थी और उक्त परंपरा के अनुसार इन संबंधित मूर्तियों की परिकल्पना इनके तंत्रों तथा आगमों से प्राप्त होती है।

प्राचीन भारत में अपने आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए राजघरानों से संबंधित महिलाओं ने द्रव्य, गाय, भूमि, वस्त्र या खाद्यानों का दान करती थीं। महाभारत में कुन्ती द्वारा व्यास से प्राप्त धन को दान देने का उल्लेख है।[1] गौतमीबलश्री ने इस तरह के दान किये थे। नासिक गुफा क्रमांक तीन का निर्माण या तो इस रानी ने स्वयं अथवा अपने पुत्र गौतमीपुत्र सातकर्णि से कहकर करवाया था।[2] और उसे त्रिरश्मिपर्वत पर रहने वाले भिक्षुओं को दान दिया था। वासिष्ठीपुत्र पुलुमावि के राज्यसंवत्सर 19 के गुफा क्रमांक 18 के लेख से विदित होता है कि गुफा क्रमांक 3 को महादेवी गौतमीबलश्री ने खुदवाया था और उसे भदावनीय भिक्षु–संघ को दान दिया था। बाद में पुलुमावि ने अपने राज्यसंवत्सर 19 में इस गुफा के लिए पिशाचीपद्रक गाँव दान दिया ताकि अधूरी गुफा का अलंकरण पूरा हो सके। उसने इस गुफा में रहने वाले भदायनीय संघ के भिक्षुओं के लिए एक अक्षयनिधि (स्थायी निक्षेप) की स्थापना की जिसमें उसने गोवर्धन आहार (विभाग) के एक गाँव को दान दिया था। उसके राज्यसंवत्सर 22 के अभिलेख में इसी गुफा के लिए शाल्मलीपद्र गाँव को दान देने का वर्णन है। इस अभिलेख में गुफा संख्या तीन को देवी गुफा कहा गया है।[3] गुफा सं0 13 के अभिलेख से विदित होता है

कि इन भिक्षुओं को पहले कखड़ी गाँव की भूमि दान दी गयी थी किंतु जब महादेवी गौतमी बलश्री को यह ज्ञात हुआ कि वह गाँव जोता नहीं जाता और उजाड़ हो गया है तो उसने गोवर्धन नगर की सीमा पर शासकीय जमीन में से 100 निवर्तन जमीन पुनः उस भिक्षु संघ को दान दिया और आदेश दिया कि अब इस भूमि में कोई अधिकारी प्रवेश नहीं करेगा, कोई उसे हाथ नहीं लगायेगा, नमक के लिए भी कोई उसे नहीं खरीदेगा और राज्य के दण्डाधिकारी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।[4]

वाकाटक रानी प्रभावती गुप्ता ने भी आचार्य चनालस्वामी को एक गाँव दान दिया था।[5] बौद्ध धर्म में यह मान्यता प्रचलित हो गयी थी कि जो व्यक्ति भिक्षुओं के लिए गुफाएँ खुदवाता है, विहारों का निर्माण करवाकर दान देता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है।[6] इसलिए समर्थ रानियाँ ऐसा करने का प्रयास करती थीं। फाह्यान ने अपनी यात्रा विवरण में लिखा है कि चूँकि आनन्द ने बुद्ध से संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दिलाने में प्रयास किया था, इसलिए भिक्षुणियाँ आनन्द के स्तूप पर उपहार अर्पित किया करती थीं।[7]

कश्मीर की कतिपय रानियों ने अपने संरक्षण काल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया एवं धार्मिक उद्देश्य से विहारों एवं धर्मशालाओं का निर्माण करवाकर दान दिया था। इनमें सुगन्धा एवं दिद्दा का नाम उल्लेखनीय है।[8] कश्मीर के उत्पल वंशीय शासक शंकर वर्मा के पुत्र गोपाल वर्मा (902–04 ई0) के अभिचार क्रिया से मारे जाने के बाद उसकी पत्नी नन्दा ने अपने पुत्र प्रसव के अवसर पर नंदामठ केशव का निर्माण कराया था।[9]

चालुक्य सम्राट विनयादित्य की रानी ने सन् 696 ई0 में वातापी में ब्रह्मा, विष्णु एवं माहेश्वर की प्रतिमाओं की स्थापना की थी।[10] बादामी के चालुक्य वंशीय शासक चन्द्रादित्य की रानी विजयभट्टारिका की दानशीलता का परिचय नेरूर ताम्रपत्र से मिलता है।[11] उक्त राजा विक्रमादित्य प्रथम (664–78 ई0) का चचेरा भाई प्रतीत होता है, जो दक्षिण के सामंतवाड़ी क्षेत्र में शासन करता रहा होगा। इसकी रानी का नाम विजयांका बताया गया है। यह एक अत्यंत विदुषी महिला थी।[12]

राष्ट्रकूटों के लेखों में कुछ ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ महिलाओं ने मंदिर आदि के निर्माण के लिए अपने समर्थ सम्बंधियों को प्रेरित कर उनसे दान दिलवाया था। दंतिदुर्ग (735–55 ई0) ने अपनी माता के कहने पर अनेक गाँव दान में दिया था।[13]

आठवीं शताब्दी के बाद ओडीशा में राज करने वाले भौमकर वंश की दो रानियों त्रिभुवन महादेवी और दण्डी महादेवी द्वारा भी धार्मिक उद्देश्यों से भूमिदान का उल्लेख मिलता है।[14] दशवीं शताब्दी में दक्षिण देश

के महादण्डनायक नागवर्मा की रानी अत्तिमब्बे की धार्मिक प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है। रत्न के कहने पर 993 ई0 में अजितपुराण (जैन–ग्रंथ) की रचना की थी। कवि ने उक्त ग्रंथ में रानी के लिए दान चिन्तामणि शब्द का प्रयोग किया गया है। यह रानी अपने वैधव्य काल में जैन धर्म साधना में लगी रही और यथाशक्ति इस धर्म के उत्कर्ष के लिए प्रयासरत रहीं।[15] वाक्पति चौहान की माँ (चन्दन की विधवा रानी) रूद्राणी शैव योगिनी थी। वह अपने पुत्र वाक्पति और सिंहराज द्वारा बनवाये गये शैव मंदिर में प्रतिदिन एक हजार दीपदान करती थीं।[16] पृथ्वीराज विजय में उसके यौगिक ज्ञान के आधार पर उसे आत्मप्रभा कहा गया है।[17]

10वीं से 12वीं शती के मध्य विशेषकर दक्षिण भारत में महिलाओं द्वारा मंदिरों के लिए धन एवं भूसंपत्ति दान देने के उल्लेख मिलते हैं। इसका समर्थन कतिपय दानपत्रों से होता है।[18] 10वीं शती के मैसूर के एक दानपत्र से विधवा और उसके देवर द्वारा भूदान का परिचय प्राप्त होता है।[19] देवर का उल्लेख सम्भवतः दायादों की अनुमति के लिए किया गया है। मैसूर के एक अन्य दानपत्र में, जिसमें एक देवालय को दान देने का उल्लेख है उसमें विधवा और देवर के अतिरिक्त उसके जाति बन्धु श्री वैष्णवों का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि हस्तान्तरण के लिए केवल दायाद ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जाति की अनुमति ली जाती थी ताकि वह वैधानिक रहे, किन्तु कतिपय ऐसे दानपत्र भी हैं जिनमें दायादों के उल्लेख नहीं मिलते। 12वीं शती के एक अभिलेख में[20] त्रिचनापल्ली की एक रानी द्वारा मंदिर को भूमिदान करने का उल्लेख है।

दक्षिण भारत की चोलवंशीय रानियों ने प्रभूत दान किया था तथा अक्षयनिधियों की स्थापना की थी। गंडरादित्य की रानी शेंबियन महादेवी ने अपने वैधव्य काल में शिव के अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था तथा उनके रखरखाव के लिए दान दिया था। उसने शेबियन महादेवी नामक गाँव बसाया था अपने जीवन के अंतिम दिनों में (1001 ई0) में दक्षिण अर्काट के तिरूवक्करै नामक स्थान पर चन्द्रमौलीश्वर का पाषाण मंदिर बनवाया था।[21] गंडरादित्य के बाद शासन करने वाले अरिंजय (अरिकुलकेसरी) की दो विधवाओं वोभन कुंदवैयार एवं कोदई पिरात्तियार ने अपने पुत्रों के राज्यकाल में दान दिये थे।[22]

कदम्ब शासक जयसिंह (1031–37 ई0) की रानी अक्कादेवी जो साम्राज्ञी भी थी, अपने समय में धार्मिक जीवन बिताती हुयी दान धर्म में रत रहीं उसने भिक्षुओं के रहने के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया तथा उसके खर्च के लिए राजकीय कर से मुक्त भूमिदान प्रदान किया था।[23]

सन्दर्भ एवं टिप्पणियाँ

1. *महाभारत*, आश्वमेधिक पर्व 91/38.

2. मिरॉशी, वासुदेव विष्णु, *सातवाहन एवं पश्चिमी छत्रपों का इतिहास एवं अभिलेख,* भाग 1, पृ0 124 एवं भाग 2, पृ0 45 पाद टिप्पणी 2,
3. वासिष्ठी पुलुमावि (रा0 सं0 22), नासिक गुफा क्र0 19.
4. गौतमी पुत्र सातकर्णि (रा0सं0 24), नासिक गुफा क्र0 13 अभि0 पंक्ति 2–6.
5. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य, तिवारी, देवी प्रसाद, *प्राचीन भारत में विधवाएँ,* अध्याय 6, पृ0 181.
6. मिरॉशी, वासदेव विष्णु, *सातवाहन एवं पश्चिमी छत्रपों का इतिहास एवं अभिलेख,* भाग 1 पृ0 120.
7. *दि ट्रेवेल्स आफ फाह्यान,* अध्याय 16, पृ0 45.
8. विशेष विवरण के लिए द्रष्टव्य, तिवारी, देवी प्रसाद, *प्राचीन भारत में विधवाएँ,* अध्याय 6, पृ0 182 एवं 187.
9. *राजतरंगिणी,* 6 पृ0 245.
10. जी0 याजदानी, *दकन का प्राचीन इतिहास,* पृ0 210.
11. *इण्डियन एण्टीक्वरी,* जिल्द 7, पृ0 163–64. जिल्द 8, पृ0 45–46 जी0 याजदानी, *दक्कन का प्राचीन इतिहास,* पृ0 206.
12. *धर्मदेव विद्यावाचस्पति,* पूर्वोक्त 6 पृ0 1–3.
13. जी0 याजदानी, *दक्कन का प्राचीन इतिहास,*, भाग 1, पृ0 242.
14. *एपिग्रैफिया इण्डिका,* जिल्द 6, पृ0 133–40. पाठक, विशुद्धानंद, *उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास,* पृ0 287.
15. जी0 याजदानी, *दक्कन का प्राचीन इतिहास,* भाग 1 पृ0 413.
16. *पृथ्वीराज विजय,* 5/37.
17. *तत्रैव,* 5/31.
18. *एपीग्रैफिआ कर्नाटका,* भाग 2, सं0 33.
19. *तत्रैव,* भाग 10, सं0 100.
20. *इन्सक्रिप्सन्स फ्राम दि मद्रास प्रेसीडेंसी,* भाग 3, पृ0 154.
21. शास्त्री, एन0 के0, *चोलवंश,* पृ0 119, 497.
22. *तत्रैव,* पृ0 119.
23. *एपिग्रैफिया इण्डिका,* जिल्द 16, पृ0 88 एवं जिल्द 15, पृ0 80.